हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड
भारत सरकार का उधम
ए–4, औधोगिक विकास केन्द्र, मानसा रोड, बठिंडा
फोन नं0ः 6533051 / 6533052

निविदा प्रपत्र मूल्य : रू 150 / –

एच0आई0एल0, बठिंडा कैन्टीन खाने–पीने के सामान संविदा आधार पर चलाने हेतु निविदा प्रपत्र ।

मैं / हम ––––––––––––––––पुत्र श्री––––––––––––––––––– निवासी––––––––––––––––––– एच0 आई0 एल कैन्टीन, बठिंडा मे खाघ–पदाथो की कैन्टीन सविदा आघार पर चलाने हेतु निवेदित दरें दे रहे हैं जो अनुलग्नक–III पर, हस्ताक्षर सहित संलग्न है ।

मैने / हमने यह उक्त वर्णित निवेदित दरें अनुलग्नक I,II, 1V एवं में दिए गए विवरण के आधार पर भरी हैं जोकि हस्ताक्षर सहित संलग्न है ।

मुझे / हमें विभिन्न औधोगिक संस्थानों की कैन्टीन चलाने का अनुभव निम्नानुसार है :–

कम सख्या	औधोगिक संस्थान का विवरण	अवधि –से –तक	लगभग सदस्यो की कैन्टीन चलाने का अनुभव

मैंने / हमने एच0आई0एल0, बठिंडा मे खाघ–पदार्थो की कैन्टीन की संविदा आधार पर चलाने की सभी भार्ते व विनियम अनुलग्नक I के अनुसार पढ ली हैं, और मुझे / हमें सभी भार्ते स्वीकार हैं ।
मैं / हम रू0 50,000 / – रूपए पचास हजार केवल का डिमान्ड ड्राफट
संख्या––––––––––
दिनांक–––––––––संलग्न कर रहे हैं ।

भवदीय

हस्ताक्षर –––––––––––
नाम ––––––––––––––
(बडे अक्षरों में)
पता–––––––––––––––
–––––––––––––––––
व्यवसाय–––––––––––––

कम्प्यूटर से डाउनलोड किये हुये फार्म के साथ टेंडर फार्म का मूल्य रू 150 / – रखा गया है। डिमान्ड डाफट के साथ भेजा जाये (इ, एम, डी के अतिरिक्त)

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड
भारत सरकार का उधम
ए–4, औधोगिक विकास केन्द्र, मानसा रोड, बठिंडा
फोन नं0: 6533051/6533052

अनुलग्नक–I

कार्य क्षेत्र–

साधारण भार्ते :–

1. निविदाकार को इस प्रकार के औधोगिक संस्थान जिसका टर्नओवर रू 25 लाख प्रतिवर्श हो और 300 से अधिक कर्मचारी काम करते हों, ऐसे संस्थान की कैन्टीन चलाने का कम से कम तीन वर्श का अनुभव हो ।
2. निविदाकार की वितीय स्थिति अच्छी हो ।
3. निविदाकार को पूर्ण विवरण के साथ कैन्टीन चलाने का अनुभव, समयकाल, कर्मचारियों की संख्या सहित देना होगा ।
4. पिछले तीन वर्शो का आय–कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
5. एच0आई0एल0 कैन्टीन हेतु उपयुक्त स्थान, पंखे, लाइट फिटिंग, टयूब, बल्ब आदि उपलब्ध करवाएगा । पानी और बिजली का कोई खर्च नहीं देना होगा । यदि निविदाकार अपने विधुतीय उपकरण का उपयोग करना चाहता है तो उसे कम्पनी की पूर्व अनुमति लेनी होगी । कम्पनी को चार्ज वापिस करते समय उसे कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी विधुतीय उपकरण, बल्ब, टयूब, आदि चालू हालत में वापिस देने होंगें ।
6. एच0आई0एल0 एक वाटर कूलर/हाट केस/डीप फ्रिजर/गैस बर्नर सिस्टम और दो वाटर गीजर उपलब्ध करवाएगा और इनका कोई किराया नहीं होगा । निविदाकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि उपलब्ध करवाई गई वस्तुओं को उचित प्रकार प्रयोग करे व रखे । वाटर गीजर का प्रयोग केवल बर्तन/काउंटर/कैन्टीन हाल धोने के लिए किया जाए ।
7. निविदाकार को छः गैस सैलेन्डर, दो कुकिंग बर्नर और दो चपाती बनाने वाले बर्नर दिए जाएंगे । सैलेन्डर भरवाने और गैस बर्नर, वाटर गीजर/डीप फ्रिजर/हाट केस के रख–रखाव का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा ।
8. एच0आई0एल0 निविदाकार को अनुलग्नक–II में वर्णित वस्तुएं कैन्टीन में प्रयोग हेतु भी बिना भुल्क उपलब्ध करवाएगा । निविदाकार को यदि इसके अतिरिक्त कैन्टीन चलाने हेतु अन्य वस्तुएं चाहिएं तो वे उसे स्वयं वहन करनी होगी ।
9. निविदाकार को सुनि चत करना होगा कि सभी फिटिंग, फिक्सचर, बिल्डिंग, उपकरण इत्यादि को उसके अपने खर्चे पर साफ सुथरा रखे और सभी वस्तुएं हर समय चालू हालत में हों ।
10. निविदाकार या उसके स्टाफ की लापरवाही से यदि किसी उपकरण जैसे वाटर कूलर/वाटर गीजर/बिजली से चलाया जाने वाला हाट केस/डीप

फ्रिजर आदि का नुकसान होता है तो उसे तुरन्त निविदाकार द्वारा ठीक करवाकर एच0आई0एल0 को देना होगा ।

11. निविदाकार को कैन्टीन परिसर का प्रयोग केवल कैन्टीन चलाने के उदे य से ही करना होगा अन्य किसी गतिविधि के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता ।
12. कैन्टीन को एच0आई0एल0 द्वारा समय समय पर जारी की गई समय–सारणी के अनुसार ही खोलना होगा । कैन्टीन खुलने के समय पर सूची अनुसार अनुमोदित सभी खाने–पीने की वस्तुएं बिक्री हेतु उपलब्ध होनी चाहिएं । अन्य समय में निविदाकर कोई बिक्री नहीं करेगा ।
13. निविदाकार को एच0आई0एल0 द्वारा स्वीकृत व्यवसाय की आव यकतानुसार ही कैन्टीन स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी । निविदाकार को उसके नियुक्त स्टाफ के साथ हुई दुर्घटना के बारे में एच0आई0एल0 को अवगत करवाना होगा ।निविदाकार को नियुक्त स्टाफ की सूची उनके पिछले रिकार्ड/पते के साथ देनी होगी और एच0आई0एल0 को स्टाफ के रिकार्ड की पुश्टि करने का अधिकार होगा, और अपनी मर्जी से कैन्टीन स्टाफ के सदस्य को निकाल सकते हैं । यह एच0आई0एल0 की मर्जी होगी कि वे निविदाकार के किसी कर्मचारी को आने की अनुमति नहीं दे । निविदाकार को सभी कर्मचारियों का चिकित्सा टैस्ट प्रथम नियुक्ति के समय और हर छः महीने के बाद कम्पनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा करवाना अनिवार्य होगा और उसका खर्च निविदाकार को वहन करना होगा । एच0आई0एल0 को यह अधिकार होगा कि वह कैन्टीन स्टाफ का आव यकतानुसार समय समय पर चिकित्सा जांच करवा सकती है और उसका खर्च निविदाकार को वहन करना होगा ।
14. कैन्टीन स्टाफ को पहचान पत्र फोटो सहित जारी किए जाने चाहिए । जिनकी जांच कम्पनी में आते व जाते समय या डयूटी समय पर होगी । पहचान पत्र के फोटो निविदाकार द्वारा अपने खर्चे पर एच0आई0एल0 को देने होंगें ।
15. निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा कि वह कैन्टीन कर्मचारी के नौकरी छोडने या निकाले जाने पर उसका पहचान पत्र एच0आई0एल0 को वापिस जमा करवा दे ।
16. निविदाकार को अपने कैन्टीन कर्मचारियों को वर्दी व जूते उपलब्ध करवाने होंगें और यह सुनि चत करना होगा कि वे हर समय वर्दी में रहें और उसे साफ–सुथरा रखें ।
17. निविदाकार का अपने कैन्टीन स्टाफ के आचरण व व्यवहार के प्रति और कम्पनी की चल और अचल सम्पति की क्षति का पूर्ण निजी उत्तरदायित्व होगा, सम्पति की क्षति या हानि की स्थिति में उसका नुकसान तुरन्त निविदाकार का भरना होगा
18. निविदाकार किसी अन्य सब–निविदाकार को इस संविदा के अर्न्तगत नियुक्त नहीं कर सकता ।
19. निविदाकार और उसके कर्मचारियों को एच0आई0एल0 द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी नियमों विनियमों का पालन करना होगा । एच0आई0एल0 को यह अधिकार होगा कि वह उसके किसी भी कर्मचारी को स्थायी या अस्थायी तौर पर एच0आई0एल0 परिसर से निकाल सकती है ।
20. निविदाकार को जब भी आव यक हुआ, प्रबन्धकों की आ यकतानुसार अतिरिक्त स्नैक्स बनवाना होगा ।

21. निविदाकार एच0आई0एल0 स्टाफ के अतिरिक्त किसी अन्य को कैन्टीन सुविधा नहीं देगा जब तक कि कार्मिक विभाग से निर्दे ा प्राप्त न हों ।
22. निविदाकार कैन्टीन और उसके आप पास के स्थान को और सैनिटरी आदि को कैन्टीन को साफ सुथरा रखेगा । रसोई, कैन्टीन हाल, फ ा, काउंटर, बैंच, मेज इत्यादि की सफाई कैन्टीन सर्विस पूरी होने के बाद करनी होगी ।
23. निविदाकार को सुनि चत करना होगा कि फंड की कमी की वजह से कैन्टीन चलाने में कोई रूकावट न हो । निविदाकार को हमे ाा किसी भी तात्कालिक परिस्थिति के लिए हमे ाा वित्तीय प्रबन्ध रखना होगा ।
24. एच0आई0एल0 को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी अधिकारी को कैन्टीन में तैयार की गई और बेची गई खाध–सामग्री का निरीक्षण कर सकती है । अधिकारी द्वारा कोई भी दोश पाए जाने पर निविदाकार को उसे दूर करना होगा ।
25. कैन्टीन के कचरे को उठाने और नश्ट करने का प्रबन्ध निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा और फैक्टरी परिसर के बाहर स्वास्थ्य दूश्टि से उचित स्थान पर कचरा नश्ट करवाना होगा ।
26. निविदाकार को कैन्टीन की सफाई में प्रयोग होने वाले सामान जैसे वा िंग पाउडर, फिनाइल, डस्टर, झाड़ू, साबुन, कपडा आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
27. निविदाकार को सुनि चत करना होगा कि वह स्वयं या उसका कोई उत्तरदायी प्रतिनिधि हमे ाा चौबीस घंटे कैन्टीन की व्यवस्था की देखभाल करने हेतु उपस्थित रहेगा ।
28. निविदाकार को कम्पनी द्वारा निर्दे ाानुसार समय पर ब्रेकफास्ट, चाय, स्नैक्स, खाना आदि उपलब्ध कर्मचारियों को देना होगा ।
29. निविदाकार को सभी मदों की दरें एच0आई0एल0 द्वारा स्वीकृत दरें ही मान्य होगी बिना एच0आई0एल0 की अनुमति के उन्हें घटाने या बढाने का अधिकार नहीं होगा । निविदाकार द्वारा कैन्टीन में बेची जाने वाली सभी सब्सीडाइजड मदों की सूची समयसारणी सहित अनुलग्नक ाा और ा पर संलग्न है । निविदाकार को अपनी निवेदित दरें अनुलग्नक ाा में देनी होगी ।
30. निविदाकार को कच्ची सामग्री जैसे आटा, चीनी, चाय पाउडर, बेसन, तेल, आलू, प्याज आदि को कम से कम एक सप्ताह का रा ान रखना होगा और दूध, हरी सब्जियां आदि प्रतिदिन ताजा खरीदनी होगी । निविदाकार को आकस्मिक परिस्थिति के लिए सूखा पाउडर दूध आदि का इंतजाम रखना होगा । एव0आई0एल0 के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपस्थित रहना होगा । सभी तैयार खाध सामग्री निर्धारित श्रेश्ठ क्वालिटी अनुलग्नक से तैयार करनी होगी ।

31.<u>भोज्य तालिका की मात्रा व गुणता</u> :

1. कैन्टीन में सप्लाई किए जा रहे खाध पदार्थो की मात्रा व गुणता, भोज्य तालिका का प्रबन्ध, भोजन का समय और ऐसे ही अन्य मामले कम्पनी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगें ।
2.निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा कि वह कम्पनी की समय समय पर आव यकता के अनुरूप खाध पदार्थो व अन्य मदों की गुणता मानक व मात्रा का

ध्यान रखना होगा और इस संबंध में कम्पनी द्वारा समय समय पर दिए गए निर्दे ों का अनुपालन करना होगा ।

3. एच0आई0एल0 को यह अधिकार होगा कि वह सभी मदों पर गुणता नियंत्रण रखे, यदि कोई मद सब–स्टैंडर्ड या कमी पाई जाती है तो उस मद को खारिज कर दिया जाएगा और उसका खर्च निविदाकार को उठाना होगा ।
एच0आई0एल0 को यह अधिकार होगा कि वे कच्चे माल की जांच करें यदि किसी खाध पदार्थ में कोई परिवर्तन पाया जाता है, या उसके या उसके स्टाफ की वजह से किसी प्रकार की क्वालिटी या सर्विस में गंभीर दोश पाया जाता है तो प्रति गलती पर रू 1000/– का जुर्माना किया जाएगा ।

4. यदि मैनेजमैन्ट निविदाकार या उसके कर्मचारियों के व्यवहार, सर्विस, खाध पदार्थो की गुणता या कैन्टीन के प्रबन्ध से सुंतुश्ट नहीं है तो निविदाकार को 24 घन्टों का नोटिस दिया जाएगा कि वह अपने दोश में सुधार लाएं, अन्यथा ऐसा न करने पर मैनेजमैन्ट को आव यक कार्यवाही करनी पडेगी यहां तक कि संविदा को निरस्त भी किया जा सकता है ।

5. खाध पदार्थों व अन्य खाने वाली वस्तुओं की जांच व निरीक्षण के लिए निविदाकार को कोई आपति नहीं होनी चाहिए ।

6निविदाकार को एच0आई0एल0 द्वारा सप्लाई की गई सभी मदों उनमें उपकरण/म ीनरी, बर्तन, क्राकरी व अन्य उपकरण सम्मिलत हैं की पूर्ण इनवैन्टरी लेनी होगी । निविदाकार द्वारा द्विमासिक इनवैन्टरी लेनी होगी और कार्मिक विभाग व वित्त विभाग में जांच हेतु सूची प्रस्तुत करनी होगी ।

32.निविदाकार कूपन के विरूध ही खाध सामग्री देगा । उसे कोई भी बिक्री नकद/उधार नहीं करनी होगी ।

33. कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए छपे हुए कूपनों के द्वारा ही खाध सामग्री का वितरण होगा । कर्मचारियों द्वारा एकत्र किए गए वैध कूपन कार्मिक विभाग में हर माह जमा करवाने पर ही निविदाकार को उन कूपनों का भुगतान किया जाएगी ।

34. निविदाकार को वैध कैन्टीन कूपनों के बदले ही खाध सामग्री देनी होगी । हालांकि यदि मैनेजमैन्ट चाहे तो वह इस प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकती है ।

35.सप्लाई किए गए खाध पदार्थों का मासिक भुगतान इस पर निर्भर करेगा कि पिछले माह यदि कैन्टीन का कार्य सफलतापूर्वक चला हो और निविदार ने कम्पनी द्वारा लागू सभी नियम व विनियमों का पालन किया हो । निविदाकार को तुरन्त ही पिछले माह के प्रयोग, रद्द किए हुए कूपनों को कार्मिक विभाग में बिल के साथं जमा करवाने होंगें । निविदाकार को विभिन्न सब्सीडाइजड मदों की सप्लाई का पूर्ण विवरण रखना होगा जिसकी जांच मैनेजमैन्ट द्वारा की जाएगी । इस संबंध में एच0आई0एल0 द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा ।

36. निविदाकार को सुनि चत करना होगा कि लिए गए कूपनों को तुरन्त ही पूरे साइज की कैन्सेले न की रबड स्टैम्प लगार कैंसिल किया जाए ताकि उन कूपनों का दुबारा प्रयोग/दुरूपयोग न हो । किसी भी प्रकार के दुरूपयोग/दुबारा प्रयोग की मैनेजमैन्ट की किसी प्रकार जिम्मेवारी नहीं होगी ।

37. संविदा की किसी भी मद के उल्लंधन की स्थिति में अधिकतम रू 1000/– हर बार जुर्माना भरना होगा । निविदाकार को सावधान रहना होगा कि संविदा की किसी भी भार्त का उल्लंधन कम्पनी की हानि मान जाएगा जिसका परिणाम उत्पादकता की हानि है और निम्न हानि अनुसार जुर्माना किया जाएगा ।

एच0आई0एल0 को संविदा की भार्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हानि होगी । संविदा के उल्लंघन के प्रकार पर जुर्माने की मात्रा निर्भर करेगी जोकि निम्नानुसार है :–

1. अधिसूचित और स्वीकृत मद यदि कैन्टीन में उपलब्ध नहीं है तो रू 1000/– रूपए एक हजार केवल का जुर्माना निविदाकार को देना होगा ।

2. स्वास्थ्य की दुश्टि से यदि कैन्टीन में सफाई में कमी पाई जाती है तो रू 100/– रूपए एक सौ केवल प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना होगा ।

3. कैन्टीन सुविधा की सेवाओं में देरी या कमी की स्थिति में रू 100/– रूपए एक सौ केवल प्रति सर्विस के हिसाब से जुर्माना होगा

निविदाकार का उत्तरदायित्व है कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में चाय, ना ता, लंच आदि उपलब्ध करवाए और सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर कैन्टीन छोड दें ।

4. निविदाकार का उत्तरदायित्व है कि कैन्टीन में वातावरण भाांतिपूर्ण रहे । यदि निविदाकार की गलती के कारण भाांति भंग होती है तो निविदाकार को रू 100/– रूपए एक सौ केवल का जुर्माना प्रति गलती पर देना होगा ।

5. निविदाकार द्वारा बेची गई सामग्री यदि मात्रा में कम या कम गुणता की पाई जाती है तो यह एच0आई0एल0 की मर्जी पर होगा कि वह निविदाकार पर जुर्माना लगाए ।

6. यदि यह पाया गया कि निविदाकार निर्धारित कूपनों के बदले यदि कोई अन्य वस्तु बेच रहा है तो निविदाकार को प्रति गलती पर जुर्माना देना होगा जो रू 1000/– रूपए एक हजार केवल से अधिक नहीं होगा ।

38. यह संविदा पहले दो वर्श के लिए मान्य होगी और इसे आपसी समझौते और संविदाकार की संतोशजनक कार्य को देखते हुए एक वर्श हेतु और बढाया जा सकता है ।

39.नियमों के अर्न्तगत दायित्व

1. निविदाकार को केन्द्रीय/राज्य सरकार के सभी विनियमों जैसे लेबर, लाइसेंस, पी एफ कोड नं0, इ एस आई सी कोड नं व बिक्रय कर पंजीकरण संख्या आदि आव यकताओं को पूरा करना होगा ।
2. निविदाकार को अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविश्य निधि एक्ट 1952/इएसआई के अन्तर्गत एम्पलायर्ज कन्ट्रीबयू ान देना होगा और कैन्टीन स्टाफ पर लागू होने वाले सभी नियमों का पालन करना होगा । निविदाकार को अपने स्टाफ को सांविधिक वेतन देना होगा । निविदाकार को अपने/अपनी फर्म को लेबर कान्ट्रेक्ट विनियम एवं एबोलि ान नियम 1970 के अन्तर्गत लाइसेंस लेना होगा और भविश्य निधि/इएसआई कोड सं0 लेना होगा ।
3. निविदाकार को ग्रुप पर्सनल एक्सीडैन्ट इं योरैन्स योजना या ऐसी अन्य किसी कम्परीहैन्सिव इं योरैन्स योजना के अर्न्तगत अपने कर्मचारियों को कवर करना होगा जिसके अर्न्तगत उसे वर्कमैन कम्पनसे ान एक्ट 1923 के अर्न्तगत उसका अपने कर्मचारियों को उसकी नियुक्ति के दौरान दुर्घटना की स्थिति में भुगतान करने का दायित्व होगा ।

4. निविदाकार को अन्य सभी नियमों व भार्तो जिसमें फूड लाइसेंस/माप तोल प्रमाण पत्र आदि भाामिल हैं का पालन करना होगा । उसे ऐसे सभी नियमों व भार्तो का पालन करना होगा जो उसपर अभी या भविश्य में लागू होंगें और रिकार्ड रखना होगा ।
5. निविदाकार इस संविदा को किसी अन्य को सबलैट या स्थानान्तरण नहीं कर सकता ।
6. साधारण स्थिति में किसी भी तरफ से तीन महीने के नोटिस पर संविदा को निरस्त किया जा सकता है । निविदाकार के तीन महीने के नोटिस के बाद एच0आई0एल0 को दूसरा कैन्टीन निविदाकार मिलने तक आपसी समझाते से इस संविदा को बढाया जा सकता है । हालांकि कम्पनी को यह अधिकार है कि वे 30 दिन के नोटिस के साथ संविदा निरस्त कर सकती है यदि गुणता में कमी पाई जाती है, लापरवाही बरती जाती है या निविदाकार संविदा के अन्तर्गत दिए गए अपने दायित्व को पूर्ण करने में असमर्थ पाया जाता है ।
7. निविदाकार को अन्य सभी नियमों व भार्तो जो उसपर लागू होते हैं या भविश्य में लागू होंगें मान्य होगें और उनका रिकार्ड रखना होगा ।
8. निविदाकार को लाइसेंस जैसे संविदा लेबर एक्ट विनियम व एबोलि ान 1970, पंजाब स्टेट बिक्री कर व अन्य सभी लागू एक्त और पिछले तीन साल की आयकर सभी की फोटोकापी जमा करनी होगी ।

40. एच0आई0एल0 की राय और महा प्रबन्धक का निर्णय निविदाकार को मान्य होगा और संविदा निरस्त की जा सकती है । निविदाकार द्वारा संविदा की भार्तो को पूरा न करने की स्थिति या उसके द्वारा कम्पनी को हुए नुकसान या क्षति को पूरा करने के लिए एच0आई0एल0 निविदाकार की सिक्यूरिटी रा‍ि ा या अन्य भुगतान से पूरा कर सकती है ।
41. यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि का नोटिस दिए बिना संविदा निरस्त की जाती है और यदि समझौते की भार्तो का उल्लंघन किया जाता है तो मैनेजमैन्ट को यह अधिकार होगा कि वह जमा की गई सिक्यूरिटी जब्त कर ले और संविदा के निरस्तीकरण की वजह से कम्पनी को हुए नुकसान हेतु कार्यवाही कर सकती है । मैनेजमैन्ट को यह अधिकार है कि वह निविदाकार द्वारा संविदा की भार्तो के अनुपालन न करने की स्थिति में एक महीने के नोटिस पर किसी भी समय संविदा निरस्त कर सकती है ।
42. निविदाकार को कैन्टीन चलाने के लिए समय समय पर निर्दे‍ि ात नियमों व विनियमों का पालन करना होगा और आव यक लाइसेंस भी रखना होगा ।
43. यदि मैनेजमैन्ट और निविदाकार के बीच संविदा की भार्तो के अनुपालन की वजह से कोई झगडा होता है तो मामले को सिविल कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा परन्तु बठिंडा सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक ान के अन्तर्गत कोर्ट ऑफ लॉ की सीमा के तहत आरबीट्रे ान एक्ट के नियमों के अनुसार आरबीट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
44. निविदाकार समझौते की भार्तो के अनुसार अपने अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानानंतरित नहीं कर सकता । यदि ऐसा किया जाता है तो निविदाकार की जमा सिक्यूरिटी जब्त कर ली जाएगी ।
45.निविदाकार को टैंडर के साथ ई0एम0डी के रूप में रू0 50,000/– रूपए पचास हजार केवल बिना ब्याज के की रा‍ि ा का डिमान्ड ड्राफट मैससै हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, बठिंडा, बठिंडा में देय जमा करना होगा । बिना

ई0एम0डी के प्राप्त टैंडर अस्वीकृत कर दिए जाएंगें यदि कोई निविदाकार टैंडर खुलने के बाद उसमें किसी प्रकार का सं ोधन/एडी ान, या वापिस लेता है तो ई0एम0डी0 की राि ा जब्त की जा सकती है । सफल निविदाकार की ए0एम0डी0 की राि ा को सिक्यूरिटी राि ा के हिस्से के रूप में जमा कर लिया जाएगा जिसका कोई ब्याज देय नहीं होगा । असफल निविदाकारों की ई0एम0डी0 की राि ा का चैक उनकी फर्म के नाम पर बनाकर दे दिया जाएगा जिसका कोई ब्याज नहीं होगा ।

46.सफल निविदाकार को रू 2,00,000/– रूपए दो लाख केवल हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के पास सिक्यूरिटी के तौर पर जमा करने होगें जिसका कोई ब्याज नहीं होगा । मैनेजमैन्ट को यह अधिकार होगा कि वह संविदा के नियमों व भार्तो के उल्लंघन की स्थिति में सिक्यूरिटी का कुछ हिस्सा या कुल राि ा जब्त कर सकती है ।

या

सफल निविदाकार को एच0आई0एल0, बठिंडा के पक्ष में रू0 2,00,000/– रूपए दो लाख केवल की राि ा की बैंक गारंटी 24 महीनों हेतु जमा करनी होगी जिसका कोई ब्याज नहीं होगा । मैनेजमैन्ट को यह अधिकार होगा कि वह संविदा के नियमों व भार्तो के उल्लंघन की स्थिति में सिक्यूरिटी का कुछ हिस्सा या कुल राि ा जब्त कर सकती है ।

या

सफल निविदाकार की ई0एम0डी0 की राि ा को सिक्यूरिटी के हिस्से के रूप में जमा कर लिया जाएगा और कम्पनी के पास जमा करवाए गए प्रतिमाह के कुल बिल में से 10 प्रति ात की राि ा तब तक काटी जाएगी जब तक सिक्यूरिटी राि ा रू0 2,00,000 रूपए दो लाख केवल तक नहीं हो जाती जिसका कोई ब्याज देय नहीं होगा । उक्त राि ा संविदा निरस्तीकरण की द ाा में, यदि निविदाकार पर कोई देय बनता है तो वह काटकर बाकी राि ा कम्पनी के नाम का चैक बनाकर वापिस की जाएगी 47. उक्त में यदि कुछ उल्लिखत नहीं है तो मैनेजमैन्ट को यह अधिकार है कि वह सभी या किसी टैंडर को बिना कारण बनाए निरस्त कर सकती है ।

1. टैंडर की वैधता :

   सामान्यः

   1. कैन्टीन केवल कम्पनी कर्मचारियों या मैनेजमैन्ट द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों हेतु है ।

2. जमा की गई निवेदित दरें टैंडर दिनांक की समाप्ति के कम से कम छः महीने तक मान्य होगी
3. सफल निविदाकार को कम्पनी द्वारा अधिसूचित दिनांक से कैन्टीन चलाने हेतु तैयार रहना होगा ।
4. यदि निविदाकार अपना टैंडर वापिस लेता है तो उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जाएगी । टैंडर जमा होने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भी टैंडर वापिस लेना माना जाएगा ।
5. सफल निविदाकार यदि निर्धारित समय से कैन्टीन चलाने में असमर्थ होता है तो भी उसकी ई0एम0डी जब्त कर ली जाएगी ।
6. टैंडर कोटे ान दो बिड प्रक्रिया 1. प्रि–क्वालिफिके ान बिड 2. प्राइस बिड में अलग अलग मोहरबंद लिफाफों में उपर टैडर का नाम व देय तिथि लिखकर हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, ए–4, औधोगिक विकास केन्द्र, मानसा रोड, बठिंडा, भेजना है । निविदा सांय 3–30 बजे उसी दिन निविदाकर्ताओं

या उनके प्रतिनिधियों जिनके पास अनुमति पत्र होगा, के समक्ष खोले जाएंगें इस प्रकिया के अतिरिक्त प्राप्त टैंडर निरस्त कर दिए जाएंगें ।

7. यदि सफल निविदाकार कैन्टीन संविदा में निर्धारित अवधि के अर्न्तगत कैन्टीन का चार्ज लेने में असफल होता है तो उसकी ई0एम0डी जब्त कर ली जाएगी ।

मुझे/हमें उक्त सभी नियम व भार्ते स्वीकार हैं और मैं सभी से सहमत हूं

निविदाकार के हस्ताक्षर
मोहर सहित
दिनांक

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड
भारत सरकार का उधम
ए–4, औधोगिक विकास केन्द्र, मानसा रोड, बठिंडा
फोन नं0: 6533051 / 6533052

अनुलग्नक–11

कैन्टीन मदों की सूची :

क्रम सं0	मद का नाम	मात्रा सख्या मे
1	प्रे ार कुकर 22 लीटर–2, 12 लीटर–1	03
2	स्टील के जग	03
3	स्टील के चम्मच	250
4	कढछी	009
5	चाय का थर्मस	003
6	स्टील के ग्लास	200
7	स्टील के ग्लास	200
8	स्टील की खाने की प्लेटें पार्टि ान वाली	150
9	स्टील की मेजें घूमने वाले स्टूल के साथ	022
10	गेहूं भंडारण हेतु ड्रम	002
11	कडाही	007
12	तवा	002
13	कैसरोल	002
14	अल्मूनियम पतीला 5 अल्मूनियम, 1 कुकर भीट के साथ अल्मूनियम	006
15	स्टील पतीला	003
16	बेलन	004
17	चकला	003
18	पोनी बडी	001
19	स्टील पोनी	002
20	तराजू – 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम और 100 ग्राम	001
21	सर्विस ट्रे	019
22	परात – ब्रास–1, अल्मूनियम–1	002
23	पटरी छोटी	003
24	स्टील की ब्रेकफास्ट प्लेट फुल साइज	150
25	फ्राईपैन	002
26	पलटा–आमलेट	002
27	मिक्सी	01
28	डीप फ्रीजर	01
29	वाटर गीजर– 50 लिटर	02
30	वाटर कूलर	01
31	एल,पी,जी गैस, 2 चपाती चूल्हा,2 बरनर	04
32	एल,पी,जी, सिलिंडर भरा हुआ बडा साइज	06

33	ऑफिस टैबल	01
34	आफिस कुर्सी	01
35	चिमटा	04
36	बाल्टी –हिन्डोलियम	04
37	स्टील कन्टेनर	06
38	ढक्कन	01
39	चाय छननी स्टीलः–2 ,प्लास्टक–02	04
40	नमक–मिर्च दानी	12 पीस
41	,,खुरचना	01 सैट
42	चम छननी	01 सैट
43	चाय छननी	01 सैट
44	आटा छननी	01
45	टोकरा– लकडी का	06
46	डोरा	02
47	चाकू	04
48	विघुतीय हाट केस	01
49	कुन्डी सोटा	01
50	छानना धी	01
51	लकडी के बैच	03

. स्टील–– स्टैनलैस स्टील

दिनाक

हस्ताक्षर
नाम (मोहर सहित)

अनुलग्नक –4

कैन्टीन की समय सारिणी

चाय व ना ता	उत्पादन व अभियात्रिक विभाग –ए, ग्रुप	प्रातः 7,30 बजे से 7,45 बजे
	सामान्य पाली	प्रातः 9,30 बजे से 9,45 बजे
	प्र ासन विभाग	प्रातः 10,15 बजे से 10,30 बजे
लंच	उत्पादन व अभियात्रिक विभाग ए–ग्रुप	प्रातः 11,00 बजे से 11,30 बजे
	सामान्य पाली	दोपहर 12,00 बजे से 12,30 बजे
	प्र ासन विभाग	दोपहर 1,15 बजे से 1,45 बजे
स्नैक्स व चाय	उत्पादन व अभियात्रिक विभाग– –ए,ग्रुप	सायं 5,00 बजे से 5,15 बजे
	सामान्य पाली	सायं 3,00 बजे से 3,15 बजे
	प्र ासन विभाग	सायं 3,30 बजे से 3,45 बजै
रात का खाना	उत्पादन व अभियात्रिक विभाग–बी, ग्रुप	सायं 7,00बजे से 7,30 बजे
रात की चाय	उत्पादन व अभियात्रिक विभाग–सी,ग्रुप	प्रात :1,00 बजे से 1,15 बजे

अनुलग्नक—5

कैन्टीन मे बनने वाले भोजन व अन्य स्नैक्स को बनाते समय उपयोग आने वाले पदार्थो का सूची

भोज्य पदार्थो के प्रकार	गुणता व ब्राड
रिफाइंड तेल	सोयाबीन फार्चून रिफाइड तेल
चीनी	
चावल ,गेहूं	मारकफैड बासमती चावल, ाक्ति भोग आटा
सभी मसाले	एम,डी एच
दूघ	(क) वेरका—(फुल कीम)
	(,ख) सूखा पाउडर (आपात स्थिति के लिए)
अचार	कैच
ब्रैड	ब्रिटानिया, मार्डन— (छोटा साइज)
बिस्कुट	पारले,/ ब्रिटानिया,/ मैरीगोल्ड
चाय	रैड लैबल/,ताजा,/ टाटा
मक्खन	वैरका/,अमूल
नमकीन	हल्दी राम व बीकानेर

नोट ———

उपयुर्क्त लिखी गई सामग्री /मसाले का पहले प्रयोग करना है, यदि कोई मसाला उपलब्ध नही होता तो उसकी जगह दूसरे ब्राड के मसाले कार्मिक विभाग की लिखित अनुमति से इस्तेमाल किये जा सकते हैं ।

हस्ताक्षर—

नाम—

मोहर सहित —

दिनांक—

अनुलग्नक—111

प्राइस बिड
कैन्टीन में दिए जाने वाले खाध पदार्थो की सूची
सब्सीडाइजड वस्तुएं

क0सं0	मदें	विवरण	दर
1	ब्रेकफास्ट	1. ब्रेड के 4 पीस (प्लेन)औेर 25 ग्राम मक्खन या दो भंरवा परांठे और अचार या 2 प्लेन परांठा और आलू सब्जी या दही या छोले या दो उबले अंडे या 100 ग्राम साम्भर के साथ दो वडा 2. चाय—150 मिली.	
2	लंच / डिनर	4 चपाती और (आधा प्लेट चावल और 2 चपाती) और अंडा करी(एक अंडा) और एक बाउल सब्जी (150 ग्राम) और एक बाउल दाल 150 ग्राम और 100 ग्राम रायता और एक पीस मिठाई (40 ग्राम) नोटः 1. हफते में एक दिन पनीर की सब्जी / अंडा करी (एक अंडा) मौसम की मिक्स सब्जियां दी जाएं । 2.मंगलवार / ाुक्रवार के लिए मीनू—पूरी 6 (चपाती के बराबर वजन) और आलू छोले और खीर या हलवा (150 ग्राम) 3.रात के भोजन की तालिका अलग मदों के साथ यही होगी ।	
3	स्नैक्स	1. एक पीस समोसा (60 ग्राम) या एक पीस ब्रेड पकोडा या कटलेट या सब्जी पकोडा बराबर वजन की नमकीन / भुजिया या बराबर वजन की मठ्ठी या 50 ग्राम मिठाई लड्डू / गुलाब जामुन / रसगुल्ला कोई एक बर्फी या 4 बिस्कुट पारले छोटा पैकेट 2. चाय — 150 मिली.	

अन्यः

1. काफी — 150 मिली.
2. ठंडा पेय — 200 मिली.
3. लस्सी — 200 मिली.
4. फ्रूट जूस — 200 मिली.
5. दूध — 200 मिली.

1. सभी सब्सीडाइजड मदें जैसे ब्रेकफास्ट/स्नैक्स और चाय/लंच/डिनर कूपन के बदले निम्नानुसार दिए जाएं :
2. कर्मचारी प्रति मद जैसे ब्रेकफास्ट/स्नैक्स/लंच/डिनर/चाय आदि के लिए लागू कूपन देगा और उसकी अदायगी कम्पनी द्वारा सब्सीडाइजड दरों के अनुसार की जाएगी ।
3. अदायगी कम्पनी द्वारा अनुलग्नक–1 पर दी गई भार्तो के अनुसार की जाएगा ।
4. ब्रेकफास्ट– कर्मचारी संबंधित कूपन दिन में एक बार ही देगा ।
5. स्नैक्स – कर्मचारी संबंधित कूपन दिन में एक बार ही देगा ।
6. लंच/डिनर – कर्मचारी संबंधित कूपन दिन में एक बार ही देगा ।
7. चाय – संबंधित कूपन दिन में दा बाद ही देगा ।
8. कल्याण विभाग द्वारा मीनू पाक्षिक आधार पर दिया जाएगा ।

दिनांकः ठेकेदार का नाम/हस्ताक्षर मोहर सहित